फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 21.09.2026

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा अवैध खनन कर रही 01 जेसीबी व 02 डम्पर को किया गया सीज।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा दिनांक 21.09.2026 को ग्राम रानीगढ़ में मिट्टी का अवैध खनन कर रही 01 जेसीबी व 02 डम्पर की चेकिंग की गई तथा मिट्टी खनन के सम्बन्ध में कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध न कराने पर उपरोक्त जेसीबी व डम्परों को सीज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सीज किए गए वाहनों का विवरण :-

1. 01 जेसीबी
2. 02 डम्पर

बरामद/सीज करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिसः

01.थाना प्रभारी श्री अजब सिंह
02. हे0का0 सुबोध
03.का0 सौरभ
04. का0 मनीष
05.का0 प्रदीप

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 21.09.2026

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध बंदूक 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 21.09.2026 को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध के कब्जे से 01 अवैध बंदूक 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 176/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अवधेश पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी भगवानपुर थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण :-

01. एक अवैध बंदूक 315 बोर
02. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त अवधेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 176/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़

मीडिया सेल फतेहगढ़।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना शमशाबाद

दि0-21.09.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त विक्रम उर्फ विक्की पुत्र सुरेश निवासी मुरैठी थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ मु0अ0सं0- 55/2017 वाद संख्या 72/2017 धारा 302 भादवि0 थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***मा0 न्यायालय एडीजे/ एफटीसी कोर्ट द्वारा दिनांक 21.09.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 50000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

एडीजीसी -श्री अखिलेश कुमार

को0 मो0 हे0 का0 सुनील कुमार

पैरोकार हे0 का0 राजेश कुमार